

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025—पौष 20, शक 1946

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0002-अठारह-5-2024.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, संशोधन जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85

-- द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किन्हीं व्यक्तियों से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:-

प्रारूप संशोधन

नियमों में,-

(1) नियम 14 (3)(दस) के नीचे परन्तु अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

परन्तु, यदि अनुज्ञा भूस्वामी के नाम से जारी की गई हो और विकास अनुज्ञा अभिन्यास को यथावत रखते हुए केवल भूमि स्वामित्व एवं/अथवा परियोजना के नाम में ही परिवर्तन चाहा गया हो तो, परियोजना का भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण से स्वीकृति के पूर्व ऐसे आवेदन पर नियम-21 के उपनियम-2 में विहित शुल्क अधिरोपित करते हुए राजस्व अभिलेख के अनुरूप भूमि स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन मान्य किया जा सकेगा।

(2) नियम 50 (ज) के पश्चात् निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(ट) यदि स्थल रेलवे परिसर से 30 मीटर की दूरी के भीतर हो तो, प्रतिबंधित दूरी केवल रेलवे स्टेशन या रेलवे लाईन के समानान्तर रेलवे की सीमा के संदर्भ में लागू होगी। रेलवे विभाग की पूर्व सहमति से इस संबंध में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(3) नियम 53 के उपनियम (3)(चार) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न लिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ख)” नियम राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सड़क-राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न मार्गों पर स्थित ईंधन भराव केन्द्र के स्थल हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

अनुक्रमांक	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	भूखण्ड का न्यूनतम आकार (मीटर में)		भूखण्ड का अग्रभाग (मीटर में)	भूखण्ड के अग्रभाग के सम्मुख सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना के भूमि उपयोग में अनुज्ञेयता
		केवल ईंधन भराव स्टेशन (एफएफएस)	सेवाओं तथा सुविधाओं सहित ईंधन भराव स्टेशन (एफएफएसएस)			
1	2	3	4	5	6	7
1	0.50 लाख से कम	20X20	35X35	20(एफएफएस)/ 35(एफएफएसएस)	15	आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, यातायात, कृषि तथा आमोद-प्रमोद
2	0. 50 लाख से 5 लाख तक	20X20	35X35	20(एफएफएस)/ 35(एफएफएसएस)	18	
3	5 लाख से ऊपर	20X20	35X35	20(एफएफएस)/ 35(एफएफएसएस)	24	

टिप्पणी

- (1) नियम 50 (ख) में उल्लेखित जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम बफर के क्षेत्र में ईंधन भराव केन्द्र मान्य नहीं होंगे।
 - (2) ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सेवा केन्द्र एवं ईंधन भराव हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 20X20 मीटर होगा तथा पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 15.00 मीटर होगी।
 - (3) कॉलम (3) में उल्लेखित एफ एफ एस में वर्कशाप की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
 - (4) कॉलम (4) में उल्लेखित भूखण्डों हेतु अधिकतम निर्मित क्षेत्र, कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें वर्कशाप और अन्य सेवाएं तथा सुविधाएं जैसे स्नेक्स स्टॉल, ए.टी.एम. इत्यादि सम्मिलित किए जा सकेंगे।
 - (5) कॉलम (4) में उल्लेखित भूखण्ड से अधिक माप होने पर सेवाओं तथा सुविधाओं सहित ईंधन भराव स्टेशन (एफएफएसएस) के अतिरिक्त मल्टी लेवल पार्किंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं/अथवा बैटरी स्वेपिंग स्टेशन भी मान्य किये जा सकेंगे। इस हेतु प्रशासकीय विभाग अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मापदण्डों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
 - (6) समस्त ईंधन भरने के केन्द्र में महिला तथा पुरुष शौचालय, पीने का पानी, आग बुझाने का उपस्कर इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (4) नियम-61 की टीप-4 में संशोधन :-
नियम 61 की टीप क्रमांक-4 में 425 वर्गमीटर के स्थान पर 200 वर्गमीटर प्रतिस्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

क्र. यूडीएच-03-0002-2024-अठारह-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक यूडीएच-03-0002-2024-अठारह-5, दिनांक 8 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.

Bhopal the 8th January 2025

NOTICE

No. UDH-3-0002-XVIII-5-2024.— The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by section 85 read with sub-section (3) of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhinyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person, with respect to said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Government.

Draft of Amendment

In the said Rules, -

(1) In rule 14, sub-rule (3), below point no. (x) the following shall be inserted, namely:-

“Provided that if the permission has been issued in the name of the landowner and only change in land ownership and/or change in the name of the project has been desired, while keeping the development permission layout as it is, then before the approval of the project by the Real Estate Regulatory Authority, an application for change in land ownership as per the revenue records can be accepted by imposing the fee prescribed in sub-rule (2) of rule 21 on such application.”

(2) In rule 50, after sub-rule (j), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(k) If the site is within 30 meters of the railway premises, then the restricted distance shall apply only with reference to the railway station or railway limit along railway line. This may be relaxed with prior consent of the Railway Department.

(3) In rule 53, clause- b of sub-rule (3)(iv), the following shall be substituted, namely:-

(b) Roads Other than National Highways: Norms for the site of the Fuel filling Station situated on the roads other than National Highways shall be as follows :

S. No.	Population of planning area	Minimum Plot Size (in meters)		Frontage of the Plot (in meters)	Minimum road width in front of the plot (in meters)	Permissibility in land used of approved development plan
		Only Fuel Filling Station (FFS)	Fuel Filling Station with Service Facilities (FFSS)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Less than 0.5 lac	20x20	35x35	20 (FFS) 35(FFSS)	15	Residential, Mixed, Commercial, Industrial, Public and semi-Public, Transportation, Agriculture and Recreational
2.	0.5 lac to 5 lac	20x20	35x35	20(FFS) 35(FFSS)	18	
3.	Above 5 lac	20x20	35x35	20(FFS) 35(FFSS)	24	

Note:-

(1) No fuel filling station shall be permitted within the minimum buffer area from the highest water level of the water body as specified in rule 50(b).

(2) In rural areas, the minimum size of the plot for Kisan Seva Kendra and fuel filling station shall be 20 X 20 meters and the width of the approach shall be minimum 15.00 meters.

(3) Workshop shall not be permitted in the FFS mentioned in column (3).

(4) For plot mentioned in column (4) maximum built up areas shall not exceed 15% of the total plot area which may include workshop and other services and facilities such as snacks stall, ATM, etc.

(5) In case of plot size more than that mentioned in column (4), in addition to fuel filling station with services and amenities (FFSS), multi-level parking, Electric vehicle Charging station and/or battery swapping station may also be accepted. For this, it will be necessary to follow the norms issued by Administrative Department or Regulatory Authority.

(6) Ladies and gents toilets, drinking water, equipments for fire fighting shall be necessarily provided in all fuel filling stations.

(4) In rule 61, amendment of note 4 of Table 8:-

"In Note-4 of table-8, Rule 61, 200 sq.m. shall be substituted for 425 sq.m."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्रमांक- 58/मप्रविनिआ/2025 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, धारा 59 एवं धारा 181(1) सहपठित धारा 86(1)(एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता), विनियम, 2025 (जी 49, वर्ष 2025)

अध्याय - 1

प्रस्तावना (Preliminary)

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement) :

- (1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2025 (जी 49, वर्ष 2025)" कहलाएंगे।
- (2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।
- (3) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.2 उद्देश्य (Objectives) :

इन विनियमों का उद्देश्य इन विनियमों में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्दिष्टानुसार विद्युत गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुश्रवण तथा संधारण को सुनिश्चित करना है। इसके विस्तार क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष (Supply Side) तथा उपभोक्ता स्थापनाओं दोनों पर मुख्य मानदण्डों (Parameters) के अन्तर्गत आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमता (Supply Voltage Variation), वोल्टेज असन्तुलन (Voltage Unbalance), स्फुरण (Flickers), वोल्टेज अवतलन/नतियां (Voltage Sags/Dips), स्फीतियां (Swells) तथा सन्नाद (harmonics) सम्मिलित हैं।

विद्युत गुणवत्ताका संबंध उस श्रेणी से है जिसके अनुसार विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज, आवृत्ति (frequency) तथा तरंग (waveform) निर्दिष्ट विशिष्टता (prescribed specification) से सुसंगत होती है। आदर्श परिस्थितियों के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय स्वीकार्य सीमाओं में वांछित वोल्टेज स्तर पर निरन्तर (uninterrupted) उपलब्ध होना चाहिए तथा

उसके द्वारा स्वच्छ (clean), शोर-मुक्त ज्यातक्रीय तरंग (noise-free sinusoidal waveform) प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इन मानकों से विचलन, जिसे सामान्यतः निकृष्ट विद्युत गुणवत्ता (Poor Power Quality) के रूप में जाना जाता है, के कारण निम्न कोटि की निष्पत्ति (degraded performance), असामयिक उपकरण विफलताएं और वर्धित प्रणाली हानियां (increased system losses) विकसित हो सकती हैं। विद्युत गुणवत्ता में विक्षोभ (disturbances) धारा-अनुकूल (upstream) तथा धारा-प्रतिकूल (downstream) की दिशा में प्रसारित हो सकते हैं तथा समान आपूर्ति तन्त्र (supply network) के अन्य उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्येक विक्षोभ भिन्न-भिन्न कारणों से उद्भूत होता है तथा यह विद्युत प्रणालियों तथा उपकरणों को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है।

1.3 परिभाषाएं तथा व्याख्याएं (Definitions and Interpretations) : इन विनियमों में पाये जाने वाले शब्द, अभिव्यक्तियों तथा व्याख्याएं जिन्हें इनके अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, नियमों तथा विनियमों तथा प्रयोज्य मानकों में इनके बारे में परिभाषित किया गया है।

- 1) "अधिनियम (Act)" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);
- 2) "प्राधिकरण (Authority)" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (Central Electricity Authority) ;
- 3) "संविदा मांग (Contract Demand)" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खण्ड 2.1 की उप-धारा(त) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;
- 4) "उपभोक्ता (Consumer)" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खण्ड 2.1 की उप-धारा(द) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;
- 5) "अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer)" से अभिप्रेत है थोक उपभोक्ता (bulk consumers), जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विनियम 'CEA (Technical Standards for connectivity to the Grid) Regulations, 2007 में परिभाषित किया गया है तथा जो उनके द्वारा स्थापित विषम/गैर-रेखीय भारों (non-linear loads) की उपस्थिति के कारण संभावित विद्युत गुणवत्ता प्रदूषक (potential power quality polluters) के रूप में चिन्हांकित किये जाते हैं, या फिर जिन्हें इन विनियमों के अधीन अन्यथा

सम्मिलित किया जाता है। इन अभिहित उपभोक्ताओं में उनकी विद्युत गुणवत्ता प्रदूषक की संभावना के अध्यधीन रहते हुए निम्न मर्दों को सम्मिलित किया जाता है जो मात्र निम्न तक ही सीमित नहीं होंगे :-

एक. वाणिज्यिक भवन {जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, सुविधाएं, होटल, विमान-पत्तन (Air Ports), माल, आदि}

ऊदो. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं (IT-Enabled Services)

तीन. मोटरकार (Automobiles)

चार. लोहा एवं इस्पात (Iron & Steel)

पांच. अल्युमिनियम (Aluminium)

छ. कपड़े/वस्त्र (Textile)

सात. कागज एवं लुगदी (Paper and Pulp)

आठ. क्लोर-क्षार (Chlor-Alkali)

नौ. पेट्रोकेमिकल (Petrochemicals)

दस. सीमेंट (Cement)

ग्यारह. औषध-भेषजीय (Pharmaceuticals)

बारह. उर्वरक (Fertilizer)

तेरह. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

चौदह. प्लास्टिक एवं रबर (Plastic and Rubber)

पन्द्रह. रेलवे/मेट्रो (Railway /Metros)

सोलह. कोयला खदानें (Coal Mines)

सत्रह. विद्युत-आवेशन केन्द्र (E-charging Stations)

6) "वितरित उत्पादन संसाधन (Distributed Generation Resource-DGR)" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथासंशोधित विनियम 'Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013' के विनियम 2 की उप-धारा (e) में परिभाषित किया गया है ;

7) "स्फुरण (Flickers)" से अभिप्रेत है, प्रकाश उद्दीपक (light stimulus) जिसकी संदीप्ति (luminance) या वर्णक्रमीय वितरण (spectral distribution) समय के साथ-साथ घटते-बढ़ते (fluctuate) हैं द्वारा अभिप्रेरित दृष्टि-अनुभूति (induced visual sensation) के अस्थिर होने का आभास। ऐसा बत्तियों (lamps) की संदीप्ति के वोल्टेज की घटत-बढ़त (fluctuation) द्वारा निश्चित परिस्थितियों के अधीन

निमित्त होता है ;

- 8) "सन्नाद (Harmonics)" से अभिप्रेत है समयकालिक तरंग (periodic wave) का ज्यावक्रीय घटक (Sinusoidal component) जो वोल्टेज अथवा धारा तरंग (Voltage or Current Waveform) हो सकता है, जो ऐसी आवृत्ति (frequency) धारित करता है जैसा कि वह 50 हर्ट्ज (Hz) की मूलभूत आवृत्ति (fundamental frequency) का समाकलन गुणक (integral multiple) हो ;
- 9) "भारतीय मानक (Indian Standards-IS)" से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) द्वारा विनिर्दिष्ट मानक ;
- 10) "इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोटेकनीकल कमीशन मानक (IEC Standards)" से अभिप्रेत है इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोटेकनीकल कमीशन (IEC) द्वारा अनुमोदित मानक ;
- 11) "आईईई मानक (IEEE Standards)" से अभिप्रेत है इन्स्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्जीनियरिंग द्वारा अनुमोदित मानक ;
- 12) "सामान्य परिचालन शर्त (Normal Operating Condition)" से अभिप्रेत है किसी विद्युत तन्त्र (electricity network) हेतु परिचालन शर्त जहां निम्न की अनुपस्थिति में उत्पादन तथा भार मांगों (generation and load demands) का परस्पर मिलन होता है, प्रणाली स्विचिंग प्रक्रियाओं (System Switching Operations) का समापन होता है तथा स्वचालित संरक्षण प्रणालियों (automatic protection system) द्वारा दोषों का निवारण होता है ;
 - एक. अस्थायी आपूर्ति व्यवस्था (Temporary supply arrangement) ;
 - दो. आपवादिक अवस्थितियां (Exception situations) जैसे कि :
 - क) आपवादिक मौसमी परिस्थितियां (Exceptional Weather Conditions) तथा प्राकृतिक आपदाएं (Natural disasters) ;
 - ख) आकस्मिक विशेष परिस्थितियां (Force majeure) ;
 - ग) तृतीय पक्ष द्वारा हस्तक्षेप (Third party interference) ;
 - घ) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित कृत्य (acts) ;
 - ङ) औद्योगिक कार्रवाइयां (विधिक आवश्यकताओं के अध्यधीन रहते हुए) ; और
 - च. बाह्य घटनाओं (external events) के फलस्वरूप विद्युत कमियों (power shortages) का परिलक्षित होना ।
- 13) "सामान्य युग्मन का बिन्दु (Point of Common Coupling-PCC)" से अभिप्रेत है मापन का बिन्दु (Point of metering) या वितरण अनुज्ञापतिधारी की आपूर्ति प्रणाली का अन्य कोई बिन्दु जो विशिष्ट भार से विद्युतीय प्रकार से निकटतम

हो, जिस पर भार संयोजित होते हैं या फिर संयोजित किये जा सकते हैं। समर्पित सेवा ट्रांसफार्मर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाय हेतु सामान्य युग्मन का बिन्दु (PCC) सामान्यतः ट्रांसफार्मर के उच्च दाब (HV) पक्ष की ओर अवस्थित होता है। ऐसे उपयोगकर्ता जिन्हें सामान्य सेवा ट्रांसफार्मर (Common Service Transformer) के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वहां सामान्य युग्मन का बिन्दु (PCC) सेवा ट्रांसफार्मर के निम्न दाब पक्ष (LV Side) की ओर अवस्थित होता है ;

- 14) "विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Power Quality Meter)" से अभिप्रेत है कोई यन्त्र (device) जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्दिष्ट सुसंबद्ध मानकों का अनुपालन करने वाले विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों का अनुश्रवण तथा अभिलेखन करने हेतु उपयुक्त है ;
15. "वर्गों के माध्य वर्गमूल का मूल्य {r.m.s-(Root-Mean-Square Value)" से अभिप्रेत है किसी निर्दिष्ट समय अन्तराल (Specified time interval) तथा विनिर्दिष्ट बैंड विस्तार (band width) पर किसी मात्रा (quantity) के तात्कालिक मूल्यों (instantaneous values) के वर्गों का अंकगणितीय माध्य (arithmetic mean) का वर्गमूल ;
- 16) "आपूर्ति वोल्टेज नति (Supply Voltage Dip)" से अभिप्रेत है दस मिली सेकंड (milli seconds-m.s) से लेकर एक मिनट तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए घोषित वोल्टेज के 10% से 90% की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में किसी प्रदत्त बिन्दु पर 'r.m.s' आपूर्ति वोल्टेज में अस्थायी कमी। सामान्यतः, नति (Dip) लघु-परिपथ (Short Circuit) के घटने (occurrence) तथा समापन (termination) या प्रणाली में अत्यधिक विद्युत धारा में वृद्धि (extreme current increase) या इससे जुड़ी स्थापना से संबद्ध होती है;
- 17) "आपूर्ति वोल्टेज स्फीतियां (अस्थायी विद्युत आवृत्ति अति वोल्टेज) {Supply Voltage Swells (Temporary Power Frequency Overvoltage)}" से अभिप्रेत है दस मिली सेकंड (milli seconds-m.s) से लेकर एक मिनट की अवधि को सम्मिलित करते हुए तक की अवधि हेतु घोषित वोल्टेज के 110% अधिक की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में किसी प्रदत्त बिन्दु पर 'r.m.s' आपूर्ति वोल्टेज में अस्थायी वृद्धि ;
- 18) "आपूर्ति वोल्टेज स्फीति अवधि (Supply Voltage Swells Duration)" से अभिप्रेत है वह क्षण (instant) जब विद्युत आपूर्ति प्रणाली के किसी विशिष्ट बिन्दु पर 'r.m.s' जिस पर वह प्रारंभ अवसीमा (start threshold) से अधिक होती है

- तथा वह क्षण जब वह समापन अवसीमा (end threshold) से गिर जाती है, के मध्य अन्तराल की अवधि ;
- 19) "आपूर्ति वोल्टेज स्फीति प्रारंभ अवसीमा (Supply Voltage Swell Start Threshold)" से अभिप्रेत है आपूर्ति वोल्टेज स्फीति के प्रारंभ को परिभाषित करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 'r.m.s' का मूल्य ;
- 20) "आपूर्ति वोल्टेज स्फीति समापन अवसीमा (Supply Voltage Swell end Threshold)" से अभिप्रेत है आपूर्ति वोल्टेज स्फीति के समापन को परिभाषित करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 'r.m.s' का मूल्य ;
- 21) "क्षणिक अति वोल्टेज (Transient Over Voltage)" से अभिप्रेत है अल्प अवधि की दोलायमान (oscillatory) अथवा गैर-दोलायमान (non-oscillatory) अति वोल्टेज (Over Voltages) जो सामान्यतः उच्च प्रकार से अवमन्दित (damped) होती हैं तथा जिनकी समयावधि कुछ मिलीसेकंडों (milliseconds) की या फिर माइक्रोसेकंडों (microseconds) में होती है ;
- 22) "कुल मांग विकृति (Total Demand Distortion-TDD)" से अभिप्रेत है सन्नाद मात्रा (harmony content) के 'r.m.s' (root mean Square) का अनुपात, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सन्नाद घटक (harmony component) 50वें क्रम (Order) तक के हैं जिन्हें उच्चतम मांग विद्युत-धारा (maximum demand current) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो;
- 23) "कुल सन्नाद विकृति (Total Harmonic Distortion-THD)" से अभिप्रेत है विद्युत-धारा सन्नाद मात्रा (current harmonic content) के 'root mean Square' का अनुपात, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सन्नाद घटक (harmony component) 50वें क्रम (Order) तक के हैं, जिन्हें आधारभूत (fundamental) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है ;
- 24) "वोल्टेज घटनाएं (Voltage Events)" से अभिप्रेत है सामान्य या वांछित तरंग आकृति (Wave Shape) से अकस्मात तथा उल्लेखनीय विचलन। सामान्यतः वोल्टेज घटनाएं अप्रत्याशित घटनाओं (unpredictable events) (जैसे कि दोष (faults)) के कारण या फिर बाह्य निमित्तों (जैसे कि मौसमी स्थितियों) के कारण घटित होती हैं ;
- 25) "वोल्टेज घटत-बढ़त (Voltage Fluctuation)/या वोल्टेज विषमताएं (Voltage Variations)" से अभिप्रेत है वोल्टेज परिवर्तनों (Voltage Changes) का अनुक्रम (series) या वोल्टेज आवरण (तरंगों) (voltage envelope) की चक्रण विषमता (Cyclic Variation) जिसकी मात्रा सामान्यतः निर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं (voltage ranges) से अधिक नहीं होती ; और
- 26) "वोल्टेज असन्तुलन (Voltage Unbalance)" से अभिप्रेत है बहु-फेज प्रणाली (Poly-Phase Systems) में कोई स्थिति जिसके अन्तर्गत तन्तुपथ-से-तन्तुपथ (line-to-line) वोल्टेज (आधारभूत घटक) के 'r.m.s' मूल्य, या क्रमिक तन्तुपथ वोल्टेजों के मध्य फेज कोण (phase angles) समग्र रूप से बराबर नहीं होते। असमानता के अंश (Degree Inequality) को सामान्यतः ऋण (negative) तथा शून्य अनुक्रम घटकों (Zero Sequence Components) तथा धनात्मक अनुक्रम घटक (positive sequence component) के अनुपात के रूप में प्रकट किया जाता है।

अध्याय – 2 सामान्य (General)

2.1. विद्युत गुणवत्ता का आकलन (Assessment of Power Quality)

2.1.1 विद्युत् गुणवत्ता के आकलन में विद्युत गुणवत्ता के विभिन्न मानदण्डों के मापन को सम्मिलित किया जाएगा तथा इनकी तुलना समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से की जाएगी।

2.1.2 विद्युत गुणवत्ता के मानक (Power Quality Standards)

विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों (Power Quality Parameters), वोल्टेज तथा विद्युत-धारा सन्नादों (Current Harmonics) का मापन तथा अनुश्रवण (measurement and monitoring) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों 'CEA (Technical Standards for Connectivity to Grid) Regulation, 2007' तथा 'CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013' में निर्दिष्ट सुसंबद्ध 'IEC' तथा 'IEEE' मानकों, के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां कहीं भी मानकों के परिभाषिक शब्द (nomenclature)/संख्या (number) का उल्लेख किया गया हो वहां ऐसे मानकों के संशोधन का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

2.2. विस्तार तथा अनुप्रयोग की सीमा (Scope and Extent of Application) :

2.2.1 ये विनियम वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों समझे गये वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों सहित, अभिहित उपभोक्ता(ओं) तथा वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों (DGRs) पर लागू होंगे।

2.2.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अभिहित उपभोक्ता(ओं) (designated consumers) को चिन्हांकित करेगा जिनके द्वारा विद्युत गुणवत्ता (Power Quality) को प्रदूषित किये जाने की संभावना है तथा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुसंबद्ध विनियमों के प्रयोज्य मानकों से परे सन्नादों (harmonics) को वितरण प्रणाली में अन्तःक्षेपित (inject) करने में सक्षम हैं।

2.2.3 इन नियमों का विस्तार क्षेत्र (Scope) अभिहित उपभोक्ता (designated consumer) एवं वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) के सामान्य युग्मन के बिन्दु (point of common coupling-PCC) पर/आपूर्ति छोरों (supply terminals) पर विद्युत आपूर्ति के प्रमुख विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों (Key power quality parameters) को निर्दिष्ट करना है। इन विनियमों के अन्तर्गत सुविचारित वितरण

अनुज्ञापिधारी द्वारा नियन्त्रित किये जाने वाले विद्युत आपूर्ति की विद्युत गुणवत्ता के मुख्य मानदण्ड (Key Parameters) निम्नानुसार हैं :

एक. आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमताएं (Supply Voltage Variation)

दो. आपूर्ति वोल्टेज स्फुरण (Supply Voltage Flicker)

तीन. आपूर्ति वोल्टेज असन्तुलन (Supply Voltage Unbalance)

चार. आपूर्ति वोल्टेज अवतलन/नति तथा स्फीतियां (Supply Voltage Sag/dips and Swells)

पांच. आपूर्ति वोल्टेज सन्नाद (Supply Voltage Harmonics)

विद्युत आपूर्ति का विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड जिसे अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer) या वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) द्वारा नियन्त्रित किया जाना माना गया है, निम्नानुसार है :

छ. विद्युत धारा सन्नाद (Current Harmonics)

2.2.4 इन विनियमों में विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों हेतु निर्दिष्ट सीमाएं केवल सामान्य परिचालन परिस्थितियों के अधीन ही लागू होंगी जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित किया गया है।

2.2.5 इन विनियमों के अनुपालन में या गैर-अनुपालन के आधार पर संघटकों (constituents) (यथा अभिहित उपभोक्ताओं, वितरित उत्पादन संसाधनों, तथा वितरण अनुज्ञापिधारी) को क्षतिपूर्ति (compensation) से संबंधित उपबन्ध इन विनियमों की अधिसूचना तिथि के पश्चात् एक वर्ष के भीतर प्रभावशील होंगे। अन्य गतिविधियों के साथ-साथ प्रारंभिक चरण (preparatory phase) में, निम्न गतिविधियों का निष्पादन भी किया जाएगा :

एक. अभिहित उपभोक्ताओं (Designated Consumers) तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) को सुग्राहित (Sensitize) करने हेतु वितरण अनुज्ञापिधारी समुचित उपाय करेगा।

दो. वितरण अनुज्ञापिधारी समस्त अभिहित उपभोक्ताओं (Designated Consumers) तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) को इन विनियमों के उपबन्धों के बारे में अवगत कराने हेतु तथा इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र {Power Quality (PQ) Meters} स्थापित किये जाने के बारे में उनकी वचनबद्धता (obligation) के बारे में नोटिस जारी करेगा।

तीन. वितरण अनुज्ञापिधारी इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर या ऐसी कोई तिथि जैसा कि केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो 33/11 kV उप-केन्द्रों/विद्युत वितरण कम्पनी (Discom) के विद्युत वितरण तन्त्र (distribution network) की सामरिक अवस्थितियों (Strategic locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बारे में एक विस्तृत योजना इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करते समय सामरिक अवस्थितियों (strategic locations) को प्रथम वर्ष के दौरान सम्मिलित किया जाएगा तथा शनैः-शनैः समस्त 33 kV उपकेन्द्रों को सम्मिलित किया जाएगा।

चार. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों के बारे में अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी समुचित दिशा-निर्देश तैयार किये जाएंगे। ये दिशा-निर्देश आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त संघटकों (constituents) हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित करते हुए विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों (Power Quality Parameters) के अनुश्रवण तथा संधारण क्रियाविधि के साथ-साथ क्षतिपूर्ति क्रियाविधि (compensation) हेतु भी स्पष्ट उपबन्ध प्रस्तावित करेगा :

परन्तु यह कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता हो तो आयोग द्वारा स्वविवेक (Suo-Motu) के माध्यम से क्षतिपूर्ति निर्दिष्ट की जाएगी।

पांच. यदि अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer)/वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र स्थापित करने में विफल रहते हों तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें 30 दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा। 30 दिवस की सूचना (नोटिस) अवधि समाप्त होने के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता /वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) के परिसर में 30 दिवस की अवधि हेतु ऐसे उपभोक्ता/वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) की लागत पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (power quality meter) की स्थापना करेगा। ऐसी स्थापना को उपभोक्ताओं/वितरित उत्पादन संसाधनों द्वारा सुगम बनाया (facilitate) जाएगा। यदि प्राप्त परिणाम विद्युत गुणवत्ता मानकों की पूर्ति

नहीं करते हैं तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं/ वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) के विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के अभिलेखन पश्चात् आयोग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति को आरोपित करेगा। विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र की स्थापना नहीं करने पर चूककर्ता पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड (penalties) आरोपित किये जा सकेंगे।

2.2.6 विश्वसनीयता में वृद्धि, ऊर्जा दक्षता में सुधार, विद्युत गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा निकृष्ट विद्युत गुणवत्ता के कारण व्यवधानों (disruptions) तथा उपकरणों की विफलता को कम करने के प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी उनके विद्युत वितरण तन्त्र (distribution network) के विद्युत गुणवत्ता अंकेक्षणों (power quality audits) के संचालन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) तैयार करेगा तथा इसे आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा। मानक प्रक्रिया में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

- क) अंकेक्षण की आवृत्ति (Frequency of Audit), विस्तार क्षेत्र (Scope) तथा आन्तरिक एवं बाह्य विद्युत गुणवत्ता अंकेक्षण के संचालन हेतु क्रियाविधि की संरचना ;
- ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के विस्तृत आकलन की प्रक्रियाएं ;
- ग) प्रतिदर्शन (Sampling) : विभिन्न विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के बारे में परिशुद्धता (accuracy) तथा अभिलेखित आंकड़ों की विश्वसनीयता के आकलन हेतु समुचित प्रतिदर्श तकनीकों (Appropriate Sampling Techniques) का प्रतिपादन।
- घ) कार्य-स्थल का निरीक्षण (On-Site Inspection) : मानकों के अनुपालन के सत्यापन हेतु उपकेन्द्रों (Substations), सामान्य युग्मन बिन्दु (Point of Common Coupling)/मापन बिन्दु (metering point) के भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) का निष्पादन ; और
- ङ) अनुशंसाएं (Recommendations) : विद्युत की गुणवत्ता में वृद्धि, जोखिमों की रोकथाम (mitigate risks) तथा विद्युत वितरण कम्पनी के तन्त्र (नेटवर्क) के निष्पादन को अनुकूलतम (Optimize) बनाये जाने हेतु प्रस्तावित दोष निवारक कार्रवाइयां तथा रणनीतियां।

- च) परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर मानक परिचालन प्रक्रिया (SoP) प्रस्तुत करने में विफल रहता हो तो आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर अंकेक्षक की नियुक्ति ऐसी निबन्धन तथा शर्तों पर जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित की जाएं, कर सकेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of Distribution Licensees)

- 2.2.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निम्न विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होगा :

विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड (Power Quality Parameter)

- एक. आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमताएं (Supply Voltage Variation)
 दो. आपूर्ति वोल्टेज असन्तुलन (Supply Voltage Unbalance)
 तीन. वोल्टेज अवतलन (नति) तथा स्फीति (Supply Voltage Sag/dips and Swells); और
 चार. वोल्टेज सन्नाद (Voltage Harmonics)

- 2.2.8 विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को संधारित (maintain) न किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित अभिहित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- 2.2.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु समय-समय पर जारी यथासंशोधित दिशा-निर्देशों, यथा 'MPERC Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensees in Madhya Pradesh' के अनुसार उनके विद्युत वितरण तंत्र (distribution network) के अन्तर्गत सामरिक अवस्थितियों (Strategic Locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश योजना तैयार करेगा।
- 2.2.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्थापित किये गये विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों के माध्यम से अभिलेखित विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों की अद्यतन स्थिति का छः माही प्रकाशन अपने पोर्टल पर करेगा।
- 2.2.11 वितरण अनुज्ञप्तिधारी निरन्तर एवं परिशुद्ध विद्युत गुणवत्ता अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) सुनिश्चित करने हेतु समस्त विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों को सदैव उत्तम कार्यकारी स्थिति में रखने हेतु उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह कि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों का नियतकालिक परीक्षण (Testing) तथा अंशाकन (calibration) मूल मापयन्त्र विनिर्माता (Original Meter Manufactures) की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

2.2.12 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु उपकरणों जैसे कि छानकों (filters) या नियन्त्रकों (controllers) के नियोजन के माध्यम से अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र की विद्युत गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत प्रयास करने होंगे। इस प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु समय-समय पर जारी यथासंशोधित दिशा-निर्देशों, यथा 'MPERC Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensees in Madhya Pradesh' के अनुसार उनके विद्युत वितरण तंत्र (distribution network) के अन्तर्गत सामरिक अवस्थितियों (Strategic Locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश योजना तैयार करेगा।

2.2.13 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आंकड़ों की सुरक्षा (data security) सुनिश्चित करनी होगी तथा इन आंकड़ों का उपयोग केवल चिन्हित प्रयोजन (identified purpose) हेतु ही करना होगा तथा इन आंकड़ों को विशिष्ट अभिहित उपभोक्ताओं तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) की सहमति के बगैर अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जाएगा।

2.2.14 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे अपना छः माही तथा वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत करना होगा।

अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन की भूमिका तथा उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of Designated Consumer & DGRs)

2.2.15 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार समय सीमा के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करेंगे तथा मापयन्त्र द्वारा अभिलेखित आंकड़ों को प्रति माह वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ साझा करेंगे। समस्त अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) निरन्तर तथा परिशुद्ध विद्युत गुणवत्ता अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु समस्त विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों को सदैव उत्तम कार्यकारी स्थिति में रखने हेतु उत्तरदायी होंगे :

परन्तु यह कि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों का नियतकालिक परीक्षण (Testing) तथा अंशांकन (calibration) मूल मापयन्त्र विनिर्माता (Original Meter Manufactures) की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

- 2.2.16 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अधीन विद्युत प्रणाली के भीतर विद्युत-धारा सन्नाद अन्तःक्षेपण (current harmonic injection) के नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी होंगे। वे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर विद्युत गुणवत्ता समस्याओं के निराकरण हेतु अपने उद्यमों/सुविधाओं (facilities) पर समुचित उपकरणों, जैसे कि छानकों (filters) या नियन्त्रकों (controllers) को नियोजित करेंगे।
- 2.2.17 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से परे विद्युत धारा सन्नाद (छानक के साथ या उसके बगैर भी) अन्तःक्षेपित करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। क्षतिपूर्ति के स्तर को आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

विद्युत गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण (Redressal of Consumer Complaints with regard to Power Quality) :

2.2.18 विद्युत गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण निम्न रीति के अनुसार किया जाएगा :-

- एक. यदि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Power Quality Meter) को स्थापित किया गया है तथा अभिलेखित सुसंबद्ध विद्युत गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध हों तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के आंकड़े उपभोक्ता के साथ साझा करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से विचलन पर कार्यवाही करेगा :
- क. वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को शिकायत प्राप्त होने के दस दिवस के भीतर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप स्तर पर लाया जाए, जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है बशर्ते यह कि तन्त्र (नेटवर्क) में किसी प्रकार का विस्तार (expansion)/उन्नयन (upgradation) सन्निहित न हो ; और

- ख. यदि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार का विस्तार (expansion)/उन्नयन (upgradation) किया जाना अपेक्षित हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी शिकायत का निराकरण 180 दिवस के भीतर करेगा।
- दो. यदि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र स्थापित न किया गया हो तथा सुसंबद्ध अभिलेखित विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड उपलब्ध न हो तो अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा पृथक से निर्दिष्ट विद्युत गुणवत्ता सत्यापन प्रभारों (Power Quality Verification Charges-PQVC) का उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने पर 30 दिवस की अवधि हेतु विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र/विश्लेषक (Power quality Meter/Analyzer) को नियोजित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड आंकड़ों को अभिलेखित किया जाएगा तथा इसे उपभोक्ता के साथ साझा किया जाएगा :-

परन्तु यह कि यदि विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों के आंकड़े स्वीकार्य सीमा (permissible limit) के भीतर पाये जाते हैं तो उपभोक्ता को 'PQVC' राशि का प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि गुणवत्ता मानदण्डीय आंकड़े केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा से परे पाये जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त विनियम 2.2.18 (एक) (क) तथा (ख) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- तीन. उपभोक्ता जो विद्युत गुणवत्ता की शिकायतों के निराकरण से असन्तुष्ट हो वह शिकायत के निराकरण हेतु अपना अभ्यावेदन यथासंशोधित मप्रविनिआ (उपभोक्ताओंकी शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 के अनुसार गठित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
- चार. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम शिकायतों का निराकरण करते समय इन विनियमों के विनियम 2.2.10 तथा 2.2.15 के अनुसार उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों (Power Quality Meters) के सुसंबद्ध अभिलेखों के संदर्भ का अवलोकन करेगा।

यदि विद्युत गुणवत्ता से संबंधित सूचना (जानकारी) और अभिलेख उपलब्ध न हों या फिर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र सामान्य युग्मन के बिन्दु (point of common coupling) पर दोषपूर्ण (defective) स्थिति में हो तो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) तत्संबंधी विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के अभिलेखन हेतु इन विनियमों के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसी विशिष्ट अवधि के लिए ऐसे मापयन्त्र की स्थापना हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

पांच विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 2.2.3 से संरेखित निर्दिष्ट विद्युत गुणवत्ता मानकों के अनुसार अनुपालन प्रदर्शित करने के निर्देश भी दे सकेगा।

छः. यथासंशोधित मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मामले की सुनवाई पश्चात् विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) सुविवेचित/तर्कसंगत आदेश, निम्न विवरण प्रदान करते हुए, जो मात्र निम्न विवरण तक ही सीमित न होगा पारित करेगा :

- क) विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड (Power Quality Parameter) जिस हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई ;
- ख) इन विनियमों के अधीन विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र द्वारा अभिलेखित मानदण्ड तथा मानक मूल्यों (Standards) से विचलन ;
- ग) टिप्पणी, क्या इन विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, या नहीं ; और
- घ) क्या विद्युत गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायतकर्ता उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त यन्त्र, जैसे कि छानक (filters) या नियन्त्रक (controllers) नियोजित किये गये हैं ;
- ड) निष्कर्ष/देय क्षतिपूर्ति, जैसा कि लागू हो।

अध्याय – 3 विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions)

3.1 शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax)

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् वितरण संहिता से संबंधित कतिपय उपबन्धों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

3.2 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulties) :

यदि वितरण संहिता के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगा जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न होंगे तथा आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक तथा समीचीन होंगे।

3.3 अन्य विनियमों के साथ किसी असंगति के बारे में, इन विनियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

टीप : इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम 2025" के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या समझने की स्थिति में किसी प्रकार की विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण के अनुसार इसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated: 09/01/2025

No. 58/MPERC /2025 –. In exercise of powers conferred under Section 86 (1) (i) read with Section 57, Section 59 and Section 181(1) of the Electricity Act, 2003, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (MPERC), hereby makes the following Regulations, namely -

**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Quality) Regulations, 2025
(G-49 of 2025)**

CHAPTER – 1

PRELIMINARY

1.1. Short Title, Extent and Commencement

- (1) These Regulations shall be called the “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Quality) Regulations, 2025 (G-49 of 2025)**”.
- (2) These Regulations shall extend to the State of Madhya Pradesh.
- (3) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette of Govt. of Madhya Pradesh.

1.2. Objectives

The objective of these Regulations is to ensure the monitoring and maintenance of Power Quality parameters as prescribed by the CEA Regulations referenced herein. The scope covers key parameters, including supply voltage variation, voltage unbalance, flickers, voltage sags/dips, swells, and harmonics, both on the supply side and at consumer installations.

Power Quality refers to the degree to which voltage, frequency and waveform of a power supply system conform to prescribed specifications. Ideally, the power supply should be uninterrupted, maintain voltage level within acceptable limits, and exhibit a clean, noise-free sinusoidal waveform. Deviation from these standards, commonly known as poor power quality, can lead to degraded performance, premature equipment failures, and increased system losses. Power Quality disturbances can propagate upstream or downstream and could affect other consumers connected in the same supply network. Each disturbance arises from different causes and can have varying effects on electrical systems and equipment.

1.3. Definitions and Interpretations: Words or expressions or interpretations occurring in these Regulations and not defined herein shall have the same meaning as defined in the Electricity Act 2003, Rules and Regulations made thereunder, and applicable Standards as amended.

- 1) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- 2) 'Authority' means the Central Electricity Authority;
- 3) 'Contract Demand' shall have same meaning as defined in Sub-section (p) of Clause 2.1 of Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 as amended;
- 4) 'Consumer' shall have same meaning as defined in Sub-section (n) of Clause 2.1 of Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 as amended;
- 5) 'Designated Consumer' means bulk consumers as defined in CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 as amended from time to time and identified as potential power quality polluters due to the presence of their installed non-linear loads, or otherwise covered under these Regulations. These Designated consumers subject to their potential to pollute power quality may include, but are not limited to, the following :-
 - i. Commercial Buildings (such as Healthcare facilities, Hotels, Airports, Malls, etc.)
 - ii. Information Technology (IT) and IT-enabled services
 - iii. Automobiles
 - iv. Iron & Steel
 - v. Aluminum
 - vi. Textile
 - vii. Paper & Pulp
 - viii. Chlor-Alkali

- ix. Petrochemicals
 - x. Cement
 - xi. Pharmaceuticals
 - xii. Fertilizer
 - xiii. Food Processing
 - xiv. Plastic & Rubber
 - xv. Railways/Metros
 - xvi. Coal Mines
 - xvii. E- Charging Stations;
- 6) **‘Distributed Generation Resource (DGR)’** shall have same meaning as defined in Sub-section (e) of Regulation 2 of Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 as amended;
- 7) **‘Flickers’** means the impression of unsteadiness of visual sensation induced by a light stimulus whose luminance or spectral distribution fluctuates with time. It is caused under certain conditions by voltage fluctuation changing the luminance of lamps;
- 8) **‘Harmonics’** means the sinusoidal component of a periodic wave, either Voltage or Current waveform, having a frequency that is an integral multiple of the fundamental frequency of 50 Hz;
- 9) **‘Indian Standards (IS)’** mean standards specified by Bureau of Indian Standards;
- 10) **‘IEC Standards’** means a standard approved by the International Electrotechnical Commission;
- 11) **‘IEEE Standards’** means standards approved by the Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- 12) **‘Normal Operating Condition’** means operating condition for an electricity network, where generation and load demands meet, system switching operations are concluded, faults are cleared by automatic protection systems and in the absence of:
- I. Temporary supply arrangement;
 - II. Exceptional situations such as:

- a) Exceptional weather conditions and other natural disasters;
 - b) Force majeure;
 - c) Third party interference;
 - d) Acts by public authorities;
 - e) Industrial actions (subject to legal requirements); and
 - f) Power shortages resulting from external events ;
- 13) **‘Point of Common Coupling (PCC)’** means the point of metering, or any other point on supply system of Distribution Licensee, electrically nearest to the particular load at which other loads are, or could be, connected. For service to users via a dedicated service transformer, the PCC is usually at the HV side of the transformer. For users supplied through a common service transformer, the PCC is at the LV side of the service transformer;
- 14) **‘Power Quality Meter’** means a device suitable for monitoring and recording of power quality parameters complying with relevant standards referred to in CEA Regulations;
- 15) **‘r.m.s. (root-mean-square) value’** means square root of the arithmetic mean of the squares of the instantaneous values of a quantity taken over a specified time interval and a specified bandwidth;
- 16) **‘Supply Voltage Dip’** means a temporary reduction of the r.m.s. supply voltage at a given point in the electrical supply system of 10 to 90% of the declared voltage for a duration from 10 milliseconds (ms) up to and including 1 min. Typically a dip is associated with the occurrence and termination of a short-circuit or other extreme current increase on the system or installation connected to it;
- 17) **‘Supply Voltage Swell (Temporary Power Frequency Overvoltage)’** means temporary increase in the r.m.s. supply voltage at a given point in the electrical supply system above 110% of the declared voltage for a duration from 10 ms up to and including 1 min;
- 18) **‘Supply Voltage Swell duration’** means time between the instants at which the root mean square (r.m.s) voltage at a particular point of an electricity supply system exceeds the start threshold and the instant at which it falls below the end threshold;
- 19) **‘Supply Voltage Swell start threshold’** means r.m.s. value of the supply voltage

- specified for the purpose of defining the start of a supply voltage swell;
- 20) **'Supply Voltage Swell end threshold'** means r.m.s. value of the supply voltage specified for the purpose of defining the end of a supply voltage swell;
 - 21) **'Transient Over Voltages'** means short duration oscillatory or non-oscillatory over voltages usually highly damped and with duration of few milliseconds or in microseconds;
 - 22) **'Total Demand Distortion (TDD)'** means the ratio of the root mean square of the harmonic content, considering harmonic components up to the 50th order, expressed as a percent of the maximum demand current;
 - 23) **'Total Harmonic Distortion (THD)'** means the ratio of the root mean square of the current harmonic content, considering harmonic components up to the 50th order, expressed as a percent of the fundamental;
 - 24) **'Voltage Events'** mean sudden and significant deviations from normal or desired wave shape. Voltage events typically occur due to unpredictable events (e.g. faults) or due to external causes (e.g. weather conditions);
 - 25) **'Voltage Fluctuation' or 'Voltage Variation'** means series of voltage changes or a cyclic variation of the voltage envelope, the magnitude of which does not normally exceed the specified voltage ranges; and
 - 26) **'Voltage Unbalance'** means a condition in a poly-phase system in which the r.m.s. values of the line-to-line voltages (fundamental component), or the phase angles between consecutive line voltages, are not all equal. The degree of inequality is usually expressed as the ratios of negative and zero sequence components to the positive sequence component.

CHAPTER – 2

GENERAL

2.1. Assessment of Power Quality

2.1.1. The assessment of Power Quality shall consist of measuring various parameters of the power quality and comparing them with the standards as referred to in the Regulations notified by Central Electricity Authority (CEA) as amended from time to time.

2.1.2. Power Quality Standards

Measurements and monitoring of Power Quality parameters, Voltage and Current Harmonics shall be in accordance with the relevant IEC and IEEE Standards as referred to in CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007, and CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 as amended from time to time :

Provided that wherever nomenclature /number of the Standards is mentioned, the latest version of amendment of such Standards shall apply.

2.2. Scope and Extent of Application

2.2.1. These Regulations shall apply to Distribution Licensee(s) including Deemed Distribution Licensee(s), Designated Consumer(s) and Distributed Generation Resources (DGRs) as the case may be.

2.2.2. The Distribution Licensee shall identify Designated Consumers that have potential to pollute Power Quality and are capable of injecting harmonics into the distribution system beyond the applicable standards prescribed in the relevant CEA Regulations.

2.2.3. The scope of these Regulations is to specify the key Power Quality parameters of electrical supply at Point of Common Coupling (PCC). The key parameters of power quality of electrical supply considered in these Regulations to be controlled by Distribution Licensee are:

- i. Supply voltage variations

- ii. Supply voltage flicker
- iii. Supply voltage unbalance
- iv. Supply voltage Sag/ dips and swells
- v. Supply voltage harmonics

The Power Quality parameter of electrical supply considered to be controlled by Designated consumer or DGR is:

- vi. Current harmonics

2.2.4. The limits specified in these Regulations for power quality parameters shall apply only under normal operating conditions as defined in these Regulations.

2.2.5. The provisions concerning compensation to constituents (Designated Consumers, DGRs and Distribution Licensee) based on compliance or non-compliance with these Regulations, shall take effect in one year following the notification date of these Regulations. During such preparatory phase of implementation of these Regulations, inter-alia other activities, following shall be done:

- i. The Distribution Licensee shall take appropriate measures to sensitize the Designated Consumers and DGRs.
- ii. The Distribution Licensee shall issue a notice to all Designated consumers and DGRs apprising them of the provisions of these Regulations and also of their obligations to install Power Quality (PQ) meters within one year from the date of notification of these Regulations.
- iii. Distribution Licensee shall install the Power Quality Meters at 33/11 kV Sub-stations/ strategic locations of Distribution Network of Discom within two years from the date of notification of these Regulations or such date as specified by CEA, whichever is earlier. A comprehensive plan in this regard shall be submitted by the Distribution Licensee within 2 months from date of notification of these Regulations. While installing the Power Quality meters strategic locations should be covered in the first year, gradually all 33 kV substations should be covered.
- iv. The Distribution Licensee shall prepare appropriate guidelines for monitoring and reporting compliance with Power Quality Parameters. These Guidelines shall be submitted to the Commission within three months from the date of notification of these

Regulations. The Distribution Licensee shall propose clear provisions for the monitoring and maintenance mechanism of Power Quality Parameters, as well as compensation mechanism for all the constituents including Distribution Licensee(s) :

Provided that the Commission shall specify compensation Suo-Motu through separate order, if no proposal is submitted by the Distribution Licensee.

- v. In the event that Designated Consumer/DGR fails to install power quality meters within the specified timeframe, a 30 days' notice shall be issued by the Distribution Licensee. After expiry of 30 days' notice Distribution Licensee shall install a power quality meter at the premises of Consumer /DGR at the cost of such consumer/DGR for 30 days. Such installations shall be facilitated by consumers /DGRs. Distribution Licensee after recording Power Quality Parameters of such Consumers/DGRs may impose compensation as determined by the Commission in case they fail to meet Power Quality Standards. Failure to install a Power Quality Meter shall attract penalties as per the provisions of Section 142 of the Electricity Act, 2003.

2.2.6. In order to enhance reliability, improve energy efficiency, ensure compliance with Power Quality Standards, and reduce disruptions and equipment failures due to poor power quality, the Distribution Licensee shall prepare Standard Operating Procedures (SoP) for conducting Power Quality Audits of their distribution network and submit to the Commission within six months from the notification date of these Regulations. The SoP shall cover the following:

- a) The framework of the Frequency of Audit, scope and methodology for conducting the internal and external Power Quality Audit;
- b) Procedures for comprehensive assessment of Power Quality Parameters as per standards referred to in CEA Regulations;
- c) Sampling: Appropriate sampling techniques to evaluate the accuracy and reliability of recorded data across different Power Quality Parameters;
- d) On-site Inspection: Physical inspections of substations, Point of Common Coupling /Metering Point to verify compliance with standards, and
- e) Recommendations: Proposed corrective actions and strategies to enhance Power

Quality, mitigate risks, and optimize the performance of Discom's network.

Provided that the Commission may appoint Auditor at the cost of Distribution Licensee on such terms and conditions as may be laid down by the Commission, in case the Licensee fails to submit SOP within stipulated time.

Roles and Responsibilities of Distribution Licensees

2.2.7. The Distribution Licensee shall be responsible for maintaining the following Power Quality Parameters as per standards referred to in CEA Regulations:-

Power Quality Parameter:

- i. Supply Voltage Variation;
- ii. Supply Voltage unbalance;
- iii. Voltage Sag (dip) and Swell; and
- iv. Voltage Harmonics

2.2.8. In the event of failure to maintain Power Quality Parameters, the Licensee shall be liable to pay compensation to affected Designated Consumers.

2.2.9. The Distribution Licensee shall prepare an investment plan for the installation of Power Quality Meters at strategic locations within their distribution network in accordance with MPERC Guidelines for Capital expenditure by Distribution Licensee in Madhya Pradesh as amended from time to time.

2.2.10. The Distribution licensee shall publish the status of power quality parameters recorded through installed power quality meters on its portal on six monthly basis.

2.2.11. The Distribution Licensee shall be responsible for maintaining all Power Quality Meters in good working condition all times to ensure continuous and accurate power quality monitoring:

Provided that periodical testing and calibration of power quality meters shall be carried out as per recommendations of Original Meter manufacturer.

2.2.12. The Distribution Licensee shall make efforts to improve Power Quality in their supply area by deploying devices to mitigate power quality issues such as filters or controllers etc. For this purpose, the Distribution Licensee shall prepare an investment plan in

accordance with the MPERC Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensees in Madhya Pradesh, as amended from time to time.

2.2.13. The Distribution Licensee shall ensure the data security and the data should only be used for identified purpose and should not be transferred to any other person without the consent of the specific Designated Consumer and DGRs.

2.2.14. It shall be the responsibility of the Distribution Licensee to comply with these Regulations and submit the half yearly and annual compliance report.

Roles and Responsibilities of Designated Consumer and DGRs

2.2.15. The Designated Consumers and DGRs shall install power quality meters within the time period as specified in these Regulations and share the recorded data of the meter thereof with the Distribution Licensee each month. The Designated Consumers and DGRs shall be responsible for maintaining all Power Quality Meters in good working condition all times to ensure continuous and accurate Power Quality Monitoring:

Provided that periodical testing and calibration of power quality meters shall be carried out as per recommendations of Original Meter manufacturer.

2.2.16. The Designated Consumers and DGRs shall be responsible to control the current harmonic injection into the electrical system within the standards referred into CEA Regulations. They shall deploy appropriate devices such as filters or controllers etc. at their works/ facilities, to mitigate Power Quality issues within one year from the notification of these Regulations.

2.2.17. The Designated Consumers and DGRs shall be liable to pay compensation to the Distribution Licensee for injecting current harmonics (with/without filter) into the Licensee's supply system beyond the standards referred to in the CEA Regulations. The level of compensation shall be specified through a separate order of the Commission.

Redressal of consumer complaints with regard to Power Quality:

2.2.18. The Consumer Complaints in relation to the Power Quality shall be redressed in the following manner: -

- i. If Power Quality meter is installed and relevant power quality parameters' recorded data is available, the Licensee shall share the Power Quality parameters' data with the consumer and

in case of deviation from standards specified in the CEA Regulations, the Distribution Licensee shall :

- a. ensure that the Power Quality Parameters' are brought as per standards specified in the CEA Regulations, as referred to in these Regulations, within ten days' of the receipt of a complaint, provided that no extension/upgradation of the network is involved; and
 - b. resolve the complaint within 180 days', provided that extension/ up-gradation of the distribution system is required.
- ii. If Power Quality Meter is not installed and relevant Power Quality Parameters' recorded data is not available, the Licensee shall deploy Power Quality Meter/Analyzer for 30 days period on payment of "Power Quality Verification Charges (PQVC)" by the consumer as specified separately by the Commission under the provisions of MPERC (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revision-II), 2022 as amended from time to time . The Licensee shall record the Power Quality Parameters' data and share the same with the consumer:-

Provided that if the Power Quality Parameters' data are found within permissible limit, PQVC shall be refunded to the Consumer within 30 days:

Further Provided that in case the Power Quality Parameters' data are found beyond the permissible limit from standards specified in the CEA Regulations , Licensee shall take action as per Regulation 2.2.18 (i) (a) and (b) above.

- iii. The Consumer, who is aggrieved by non-redressal of his grievances of Power Quality, may make a representation for the redressal of his grievance to Electricity Consumers Grievances Redressal forums (ECGRF) constituted under Commission's Regulations namely MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumers), Regulations 2021 as amended.
- iv. The ECGRF while redressing such grievances will refer to relevant records of Power Quality meters in respect of Consumer and the Distribution Licensee in accordance with Regulations 2.2.10 and 2.2.15 of these Regulations. In case Power Quality related information and records are not available or Power Quality Meter is defective at the Point of Common Coupling, ECGRF may order installation of such meter for a specific

- period as per Guidelines issued under these Regulations to record respective Power Quality Parameters.
- v. The ECGRF may also ask consumer and the Distribution Licensee to demonstrate compliance or otherwise with the Power Quality Standards as mentioned in Regulation 2.2.3 of these Regulations.
- vi. After hearing the matter in accordance with the procedures laid down in MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumers), Regulations 2021 as amended, ECGRF shall pass a reasoned order giving details including but not limited to the following:-
- a) Power Quality Parameter, regarding which complaint was made;
 - b) Parameter as recorded by Power Quality Meter specified under these Regulations and deviation from Standards;
 - c) Remarks, whether the provisions of these Regulations are complied with or not;
 - d) Whether the complainant consumer and the Distribution Licensee have deployed appropriate devices, such as filters or controllers, to mitigate Power Quality issues; and
 - e) Conclusion /compensation, as the case may be.

CHAPTER -- 3

MISCELLANEOUS PROVISIONS

3.1 Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person

3.2 Power to Remove Difficulty:

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

3.3 In the event of any inconsistency with other Regulations, the provisions of these Regulations shall prevail.

By order of the Commission
UMAKANTAPANDA, Commission Secy.